


<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 2015/00384 70/2015 सुनिल / जज देव</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
<p>6-8-20</p> <p>8-10-20</p> <p>10¹²/₂₀</p>	<p>पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक सच न आज न्यायिक कार्य स्थागित रखा। पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक 8-10-20 को पेश हो <i>[Signature]</i></p> <p>पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक सच न आज न्यायिक कार्य स्थागित रखा। पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक 10-12-20 को पेश हो <i>[Signature]</i></p> <p>पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक सच न आज न्यायिक कार्य स्थागित रखा। पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक 11-2-21 को पेश हो <i>[Signature]</i></p>	
<p>11-2-21</p>	<p>पत्रावली पेश। वकील अपीलान्त को पूर्व पेशी पर हिदायत दी गई थी कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रेस्पोंडेंट्स के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करे अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जायेगी। आज दिनांक तक अपीलान्त ने रेस्पोंडेंट्स के रजिस्टर्ड नोटिस पेश नहीं किये गये हैं इससे स्पष्ट है कि अपीलान्त अपनी अपील के प्रति गम्भीर नहीं है। फलस्वरूप अपील अपीलान्त आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज की जाती है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फंसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तक्रमील दाखिल दफ्तर हो।</p> <p><i>[Signature]</i> भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)</p>	